आर.टी.आई.

स्पीड पोस्ट

मि. सं. 29-01/2022–स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली–110012
दिनांक: 17 फरवरी, 2023

सेवा में,

लवकुश पटेल
सी–1, सांई कृपा अपार्टमेन्ट
विज्ञान खंड, भरवारा, गोमतीनगर, लखनउ–226010
(उत्तर प्रदेश)

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति–विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री0 लवकुश पटेल, उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/23/00004 दिनांक 24.01.2023)

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्याओं का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम **2005** के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

S.N	मॉगी गई जानकारी	जवाब
1.	केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हेतु संचालित सम्पूर्ण योजनाओ का विवरण	1. आत्मा योजना : संलग्नक - क 2. किसान कॉल सेंटर (KCC) : संलग्नक -ख 3. अग्री-क्लिनिक एवं अग्री-बिज़नेस (AC&ABC) : संलग्नक - ख
2.	केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में संचालित कृषि योजनाओ पर सब्सिडी का पूर्ण विवरण	1. **आत्मा योजना** : आत्मा योजना में subsidy का कोई प्रावधान नहीं है. 2. **किसान कॉल सेंटर (KCC)** : इस योजना में subsidy का कोई प्रावधान नहीं है. 3. **अग्री-क्लिनिक एवं अग्री-बिज़नेस (AC&ABC)** : उत्तर प्रदेश राज्य में अग्री-क्लिनिक एवं अग्री-बिज़नेस केंद्र (एसी एंड एबीसी) योजना में 1204 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रु. 2939.0516 लाख की subsidy प्रदान की गई है.
3.	केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हेतु कृषि संचालित योजनाओ में भ्रष्टाचार की सम्पूर्ण शिकायतों एवं कृत कार्यवाही का विवरण	यह विस्तार निदेशालय से सम्बंधित नहीं है.
4.	उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण किसान लोन माफी, किसान का नाम पता संपर्क सहित विवरण.	यह विस्तार निदेशालय से सम्बंधित नहीं है.

...2/-

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होनें के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :–

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),
विस्तार निदेशालय,
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कमरा संख्या 204, कृषि विस्तार सदन,
पूसा, नई दिल्ली–110 012,
दूरभाषः– 011-25849881व ई–मेल पताः–shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया

17/2/2023

(दीपा पांडे)
उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आइ.ओ.)
दूरभाषः– **011.25846467**
ई–मेलः– deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपिः–

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज व अनुभाग अधिकारी (आई.टी.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ की उपरोक्त जबाव को विस्तार निदेशालय की वेबसाईट www.krishivistar.gov.in. पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक - क

1. विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता योजना (आत्मा योजना):

आत्मा योजना किसानों के कल्याण एवं विकास हेतु वर्ष 2005 से अमल में है । यह योजना वर्तमान में 28 राज्यों में एवं 05 केंद्र शासित प्रदेशों के 704 जिलों में क्रियान्वित है (जिसमे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले शामिल है). आत्मा योजना के अंतर्गत किसानो को नवीनतम तकनीकी की जानकारी दी जाती है । नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी हेतु कृषकों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, भ्रमण दौरों, किसान मेला, किसान गोष्ठी, कृषक-वैज्ञानिक-परिचर्चा, फार्म स्कूलों इत्यादी गतिविधियों के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है । इसके अलावा प्रगतिशील किसानों को उनके उत्कृष्ठ प्रदर्शन/कार्यों हेतु सम्मानित भी किया जाता है ।

आत्मा योजना के दिशा-निर्देश http://extensionreforms.dacnet.nic.in/PDF/atmaguid23814.pdf वेब लिंक पर क्लिक कर देखे जा सकते हैं ।

संलग्नक - 29

किसान काल सेंटर (KCC)

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसान कॉल सेंटर योजना चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध विषयों पर किसानों की समस्यायों का निराकरण टेलीफोन द्वारा करना है | वर्तमान में ये किसान कॉल सेंटर 17 विभिन्न केन्द्रों से संचालित किये जा रहे हैं। जो कि सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों को कवर करते है | किसान कॉल सेंटर की सेवाओ के लिए टेलीफोन नं. 1800 180 1551 पर सभी टेलीकॉम नेटवर्क के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। किसानों के प्रश्नों का उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में दिया जाता है। किसान कॉल सेंटर सेवा सभी केसीसी सेंटर से सप्ताह के सातों दिन प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में किसान कॉल सेंटर कानपुर में स्थित है |

एग्री-क्लीनिक एवं एग्री-बिजनेस केंद्र (एसी एंड एबीसी)

कृषि विस्तार की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत कृषोन्नति योजना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का विस्तार प्रभाग केंद्रीय क्षेत्र के घटक "एग्री-क्लीनिक एवं एग्री-बिजनेस केंद्र (एसी एंड एबीसी) की स्थापना" सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों की पूर्ति, कृषि विकास को सहायताएवं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अप्रैल, 2002 से लागू की जा रही है।

यह योजना वित्तीय सहायता सहित स्थापित कृषि उद्यमों के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को सलाह और विस्तार सेवाएं प्रदान करने में एसी और एबीसी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कृषि-उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है।ये कृषि-उद्यमी किसानों को मृदा स्वास्थ्य, फसल पद्धति, पौधों की सुरक्षा, कटाई के बाद की तकनीक आदि सहित विभिन्न तकनीकों पर सलाह और विस्तार सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद प्रशिक्षण घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एसी और एबीसी योजना के सब्सिडी घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

योजना के तहत, 18-60 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार उम्मीदवार,जो देश के विभिन्न हिस्सों में चयनित नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के माध्यम से कृषि और संबद्ध विषयों में डिग्री/डिप्लोमा, कृषि में इंटरमीडिएट, कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में पीजी के साथ विज्ञान स्नातक और जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में स्नातक हैं,को45 दिनों की अवधि का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।एनटीआई भी प्रशिक्षित उम्मीदवारों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि-उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है तथा नाबार्ड के माध्यम से बैंकों से ऋण सहायता और सब्सिडी सहायता प्रदान करने में सुविधा प्रदान करती है।

जना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड अपफ्रंट कंपोजिट सब्सिडी का प्रावधान है। महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के संबंध में सब्सिडी 44% और अन्य श्रेणियों के संबंध में 36% है।व्यक्तिगत मामले में 20 लाख रुपये और समूह परियोजनाओं (5 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के समूह द्वारा स्थापित उपक्रमों के लिए) के मामले में 100 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जा सकती है।

हाल ही में, एसी और एबीसी योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण योजना के लाभों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन के लिए योजना को डीबीटी भारत मिशन के साथ जोड़ा गया है तथा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार विवरण अनिवार्य किया गया है।योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए **http*://acabcmi*.gov.in** के माध्यम से 01.01.2018 को ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है और सब्सिडी विवरण भी ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज किया गया है।

योजना का विवरण वेबसाइट **www.agriclinic*.in** पर देखा जा सकता है।